न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 231 सन 2022

अनवान :–

1. हरमीतसिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जाटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा हाल चक 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरबंस कोर पत्नी स्व मालगर सिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा
2. परमप्रीत कोर पत्नी लखवीरसिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपरा
3. विशालदपीसिह पुत्र लखवीरसिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/4/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 40/38 की कुल 3.4400हैक में वादी सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा , मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी हरबंशकोर एवं पुत्र लाखवीरसिह है लखवीरसिह का देहानत हो चुका है जिसके जाजय वारिसान उसके पत्नी परमप्रीतकोर व पुत्र विशालसिह है अर्थात मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो उसके नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता एवं चाचा बख्तावरसिह के नाम से दर्ज थी वादी के पिता व चाचा ने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि एवं अन्य चको की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था तथा बाहमी बटवारा में वाद भूमि रोही मौजा चक 6 आरपीएम की भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी एवं वादी के पिता के देहान्त होने के बाद वादी का प्राप्त हुई है जो वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के नाम दर्ज नही है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के मध्य पूर्व में भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद

Scanned with CamScanner

भूमि में अन्य भूमियों को लेकर बाहमी बटवारा हुआ था जिसमें वाद भूमि वादी के पूर्वजों को प्राप्त हुई जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वर्तमान में वाद के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के बाहमी बटवारा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 40/38 की कुल 3.4400हैक में वादी सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा , मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी हरबंशकोर एवं पुत्र लाखवीरसिह है लखवीरसिह का देहानत हो चुका है जिसके जाजय वारिसान उसके पत्नी परमप्रीतकोर व पुत्र विशालसिह है अर्थात मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो उसके नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता एवं चाचा बख्तावरसिह के नाम से दर्ज थी वादी के पिता व चाचा ने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि एवं अन्य चको की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था तथा बाहमी बटवारा में वाद भूमि रोही मौजा चक 6 आरपीएम की भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी एवं वादी के पिता के देहान्त होने के बाद वादी का प्राप्त हुई है जो वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के नाम दर्ज नही है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 40/38 की कुल 3.4400हैक में वादी सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा , मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजो के मध्य पूर्व में भूमि काश्त की

Scanned with CamScanner

सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि में अन्य भूमियों को लेकर बाहमी बटवारा हुआ था जिसमे वाद भूमि वादी के पूर्वजों को प्राप्त हुई जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वर्तमान में वाद के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के बाहमी बटवारा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 40/38 की कुल 3.4400हैक में वादी सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा , मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है मृतक मलागरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरमीतसिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जाटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा हाल चक 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हरबंस कोर पत्नी स्व मालगर सिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा
2. परमप्रीत कोर पत्नी लखवीरसिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपरा
3. विशालदपीसिह पुत्र लखवीरसिह जाति जटसिख निवासी हरिनो काटेकपुरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 231 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 40/38 की कुल 3.4400हैक में वादी सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा , मलागरसिह पुत्र बख्तावरसिह सयुक्त तोर से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है मृतक मलागरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner